

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-९०/२०२१-२२/ २५ (आ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक २५.०३.२०२३

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य के सचिव,
सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

विषय-

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में मॉग सं०-५३-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष २४०५-मछली पालन-७७-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश ६० : राज्यांश ४०) अंतर्गत मो० मो० ३०३१.४५ लाख (तीस करोड़ एकतीस लाख पैतालीस हजार) रु० मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग-

सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० ४९ रा० (वि०) दिनांक २३.०३.२०२३, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० २७७६ एवं २७७७ तथा आवंटन सं० ७८ (आ०) दिनांक २५.०३.२०२३ ऑन-लाईन आवंटन सं०-५३८२, ५३८५, ५३८९, ५३९०, ५३९१ तथा ५३९४ ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० ४९ रा० (वि०) दिनांक २३.०३.२०२३, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० २७७६ एवं २७७७ तथा आवंटन सं० ७८ (आ०) दिनांक २५.०३.२०२३ ऑन-लाईन आवंटन सं०-५३८२, ५३८५, ५३८९, ५३९०, ५३९१ तथा ५३९४ के आलोक में मॉग सं०-५३-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष २४०५-मछली पालन-७७-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश ६० : राज्यांश ४०) अंतर्गत मो० ३०३१.४५ लाख (तीस करोड़ एकतीस लाख पैतालीस हजार) रु० मात्र आवंटित किया जाता है।

२. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में मॉग सं०-५३-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष २४०५-मछली पालन अन्तर्गत आवंटन :

स्थापना का नाम	क्रम०	विस्तृत शीर्ष	आवंटित राशि
		लघु शीर्ष-१०१-अन्तर्देशीय मछली पालन	
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची	१	०६-अनुदान-४९-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) ५३C२४०५००१०१७७०१०६४९	१०७८९५०००
	२	०६-अनुदान-४९-आर्थिक सहायता (राज्यांश) ५३S२४०५००१०१७७०१०६४९	७१९३००००
		लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
	३	०६-अनुदान-४९-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) ५३C२४०५००७८९७७०१०६४९	८७४९००००
	४	०६-अनुदान-४९-आर्थिक सहायता (राज्यांश) ५३S२४०५००७८९७७०१०६४९	५८३३००००
		लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	
५	०६-अनुदान-४९-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) ५३C२४०५००७९६७७०१०६४९	६५२४३०००	
६	०६-अनुदान-४९-आर्थिक सहायता (राज्यांश) ५३S२४०५००७९६७७०१०६४९	४३४९५०००	
		कुल आवंटन	३०३१४५०००

कुल आवंटन मो० तीस करोड़ एकतीस लाख पैतालीस हजार रु० मात्र।








3. आवंटित राशि की निकासी, निदेशक मत्स्य के सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मत्स्य निदेशालय द्वारा डोरण्डा कोषागार से की जाएगी।
4. इस आवंटन की अनुदान की राशि लाभुकों को PFMS के EAT (Expenditure, Advance and Transfer) Module में विमुक्त किया जाना है अतः सम्पूर्ण अनुदान राशि (केन्द्रांश तथा राज्यांश सहित) डोरण्डा कोषागार से आहरित कर विभाग के अधीन निबंधित उपक्रम झारखण्ड राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि० (झास्कोफिश) के अन्तर्गत इस योजना विशेष हेतु एस०एन०ए० के खोले गये बचत खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी योजना में पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय न हो।
6. योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 245/बजट/दिनांक 30.03.2022 के आलोक में यह आवंटन निर्गत किया जाता है।
7. सामान्य स्वीकृत्यदेश के कंडिकाओं का अक्षरशः पालन किया जाए।
8. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश, प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि विमुक्ति हेतु निर्गत पत्रों में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन



25/3/23
(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि०-॥-उ०यो०-९०/२०२१-२२/ 24 (आ०)/मत्स्य/राँची/दिनांक 25.03.2023
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/योजना एवं बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/3/23
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि०-॥-उ०यो०-९०/२०२१-२२/ 24 (आ०)/मत्स्य/राँची/दिनांक 25.03.2023
प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


25/3/2023
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.



